आवश्यक सूचना

वित्त समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वित्त समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 27.03.2025 दिन शनिवार को प्राचार्य कक्ष में दोपहर 2:00 बजे होनी निश्चित हुई है। अतः आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

बैठक में निम्न एजेंडे पर विचार एवं निर्णय किया जाएगा

1. वित्त समिति की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों की पुष्टि एवं कार्य निष्पादन की समीक्षा।
2. सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क का निर्धारण।
3. वार्षिक शुल्क में स्वामत्त महाविद्यालय शुल्क को सम्मिलित राशि पर विचार एवं निर्णय।
4. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क, विलंब शुल्क तथा पुस्तकों की क्षति या गुम होने की स्थिति में देय दंड शुल्क का निर्धारण।
5. सत्र 2025-26 के सेमेस्टर परीक्षा शुल्क पर विचार एवं पुनः निर्धारण।
6. मुख्य परीक्षा आयोजन, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यों हेतु मानदेय की दरों की समीक्षा एवं संशोधन।
7. प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन एवं गोपनीय कार्यों हेतु मानदेयों का निर्धारण
8. चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, अंकपत्र, प्रवेश पत्र, आदि की द्वितीय / अतिरिक्त प्रति हेतु शुल्क निर्धारण।

9. सामग्री क्रय (स्टेशनरी, उपकरण, पुस्तकें, फर्नीचर आदि) की प्रक्रिया, निविदा / कोटेशन प्रणाली एवं स्वीकृति की सीमा का निर्धारण।

10. स्वायत्त महाविद्यालय के संचालन से संबंधित नवीन बैंक खाता खोलने जाने अथवा पुराने खातों को अन्य उपयुक्त बैंकों में स्थानान्तरित करने पर विचार।

11. विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण, औद्योगिक प्रशिक्षण, शोध भ्रमण, फील्ड वर्क आदि से संबंधित व्ययों की स्वीकृति व निर्धारण।

12. शिक्षकों / कर्मचारियों को कार्यशाला, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सहभागिता हेतु वित्तिय सहयोग पर विचार।

13. अन्य कोई विषय (अध्यक्ष की अनुमति से)।

सदस्य सचिव

वित्त समिति
चमनलाल स्वायत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लंढौरा

अध्यक्ष – [signature]

सदस्य – [signature]

सदस्य – [signature]

सदस्य सचिव – [signature]

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 27.03.2025 दिन शनिवार को प्राचार्य / वित्त समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता दोपहर 2:00 बजे वित्त समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न-लिखित निर्णय लिये गये।

उपस्थिति :-

अध्यक्ष	–	[signature]
सदस्य	–	[signature]
सदस्य	–	[signature]
सदस्य सचिव	–	[signature]

प्रस्ताव सं० – 1

वित्त समिति की प्रथम बैठक मे लिए गये निर्णयों की पुष्टि एवं कार्य निष्पादन की समीक्षा।

निर्णय :-

पूर्व बैठक मे लिए गए निर्णयों से समिति को अवगत कराया गया एवं कार्य निष्पादन विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं० – 2

सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो के वार्षिक शुल्क का निर्धारण।

निर्णय :- निर्धारित वार्षिक शुल्क का विवरण संलग्न है सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं० - 3

वार्षिक शुल्क में स्वायत्त महाविद्यालय शुल्क की सम्मिलित राशि पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय :- स्वायत्त शुल्क लेखाकार द्वारा रु० 300/- वार्षिक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं० - 4

पुस्तकालय सदस्यता शुल्क, विलंब शुल्क तथा पुस्तक की क्षति या गुम होने की स्थिति में देय दंड शुल्क निर्धारण।

निर्णय :- पुस्तकालय समिति द्वारा शुल्क संरचना पर विचार किया गया एवं सभी की सहमति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं० - 5

सत्र 2025-26 के सेमेस्टर परीक्षा शुल्क पर विचार एवं पुनः निर्धारण।

निर्णय :-

सैमेस्टर परीक्षा शुल्क को मूल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप यथावत स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं०- 6

मुख्य परीक्षा आयोजन, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यों हेतु मानदेय की दरों की समीक्षा एवं संशोधन

निर्णय :-

मुख्य परीक्षा आयोजन, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यों हेतु मानदेय को मूल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप यथावत स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं०- 7

प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन एवं गोपनीय कार्यों हेतु मानदेयों का निर्धारण।

निर्णय :-

पूर्व बैठक में स्वीकार मानदेय की दरों को उचित पाया गया और पूर्व की भांति यथावत रखा गया।

प्रस्ताव सं०- 8

चरित्र प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, अंकपत्र, प्रवेश पत्र आदि की द्वितीय / अतिरिक्त प्रति हेतु शुल्क निर्धारण।

निर्णय :-

लेखाकार द्वारा रु 50/- शुल्क का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया गया, जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं. 9

आगामी सत्र (लेखनी, उपकरण, पुस्तकें, फर्नीचर आदि) की क्रय योजना, निविदा/कोटेशन प्रणाली एवं स्वीकृति की सीमा का निर्धारण।

निर्णय।

लेखाकार द्वारा सरकारी नियम प्रस्तुत किये गये, जिसे सभी के द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं०– 10

स्वायत्त महाविद्यालय के संचालन से संबंधित नवीन बैंक खाता खोले जाने अथवा पुराने खातों को अन्य उपयुक्त बैंकों मे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव।

निर्णय।

स्थानांतरण (माइग्रेशन) एवं रेडक्रॉस के लिए अलग से खाता खोलने पर विचार किया गया, जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। उक्त कार्य लेखाकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

प्रस्ताव सं० – 11

विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण, औद्योगिक प्रशिक्षण, शोध भ्रमण, फील्ड वर्क आदि से संबंधित व्ययों की स्वीकृति व निर्धारण।

निर्णय !-

विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के क्रम में तत्कालिन नियमों / निर्देशों के अनुरूप प्राचार्य द्वारा व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव सं० - 12

शिक्षकों / कर्मचारियों की कार्यशाला, सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सहभागिता हेतु वित्तिय सहयोग पर विचार।

निर्णय !-

शिक्षकों / कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के क्रम में तत्कालीन नियमों / निर्देशों के अनुरूप प्राचार्य द्वारा व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव सं० - 13

अन्य कोई विषय (अध्यक्ष की अनुमति से)।
निर्धन / मेधावी छात्रों को प्रदान की जाने वाली 800/- रु० वार्षिक छात्रवृत्ति में वृद्धि का प्रस्ताव

निर्णय !-

निर्धन एवं मेधावी (मेरीट शिप) छात्र-छात्रा कल्याण समिति द्वारा उक्त राशि को 1000/- रु किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष - [signature]
सदस्य -
सदस्य - [signature]
सदस्य सचिव - [signature]